# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
## पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33 / 2020

1– सुखाराम पुत्र सादाराम, जाति जाट, निवासी बादेड़ तहसील लाडनु,
जिला नागौर राज.।

बनाम

1– नायब तहसीलदार लाडनु, जिला नागौर राज0।

उपस्थित अधिवक्ता–
1– श्री हीरसिंह बलारा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

**अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार लाडनूं बअनुवान पटवारी हल्का बाकलिया बनाम सुखाराम पुत्र सादाराम प्रकरण संख्या 09 / 2020 न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं का निर्णय दिनांक 13 / 07 / 2020.**

निर्णय

दिनांकः–16.04.2021

**{1}**– यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 09 / 2020 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का बाकलिया बनाम सुखाराम पुत्र सादाराम में पारित दिनांक 13 / 07 / 2020 के विरूद्ध पेश की है।

**{2}** – अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाकलिया व भू.अ. निरीक्षक निम्बी जोधा ने अपीलान्ट / अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय उप तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट / अप्रार्थी ने मौजा ग्राम बाडेला के खसरा न0 88 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता में कन्टीली तारबन्दी कर अतिक्रमण कर रखा है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट / अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा बाडेला के खसरा नं. 88 रकबा 0–06 बीघा गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा बाडेला के खसरा नम्बर 88 रकबा 0–06 बीघा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 7/– अक्षरे सात रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 30.07.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 31.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक एन.टी. कोर्ट/रीडर/2020/62 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

**{3}**– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

**{3}**(1)–यह है कि लायक अदालत मातहत नायब तहसीलदार लाडनूं ने बिना अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व बिना किसी साक्ष्य व शहादत के बाला बाला ही निर्णय व आदेश पारित कर दिया। क्योंकि माननीय अधीनस्थ मातहत ने दिनॉक 13.07.2020 को अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर उसी दिन पटवारी व भू. अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट लेकर उसी दिन आदेश व निर्णय पारित कर दिया, जो आदेश प्रथम द्रष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

**{3}**(2)– यह है कि अपीलान्ट का खेत खसरा संख्या 83 वाके बाडेला स्थित है, जिसमें बाजरे की बड़ी–बड़ी फसल खड़ी है तथा यह खेत खसरा संख्या 88 के पूर्वी तरफ आया हुआ है, इस खेत की सीमाएं सरकायी हुयी नहीं है, और न रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है। जबकि अपीलान्ट ने अपने जवाब दिनॉक 12.03.2020 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खसरा संख्या 88 वाके बाड़ेला की सीमा का ज्ञान, उस व उसके पूर्व व पश्चिमी तरफ के सभी खेतों का निश्चित सीमा चिन्ह मुडा से नाप चोक करवाया जाना न्यायोचित है। लेकिन इस बारे में माननीय अदालत मातहत ने गौर किये बिना ही आदेश व निर्णय पारित कर दिया। जो निरस्त किया जाने योग्य है।

**{3}**(3)– यह है कि आज से करीब 90–95 वर्ष पूर्व डीडवाना लाडनूं सड़क का निर्माण हुआ था, जो आज हनुमानगढ़ मेघा हाईवे के नाम से जाना जाता है। इस सड़क पर ग्राम बाडेला आया हुआ है, यह हाईवे खसरा संख्या 88 रास्ते के परेलल करीब 20 खेतों में से होकर बना

दी गयी, उस समय भी खेतो के खातेदारों व अन्य जनता को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि सड़कके अलावा पेरेलल कोइ दूसरा कटाणी रास्ता भी है। क्योंकि खेतो वाले काश्तकारो को सड़क निकालने से लेकर आजतक मुआवजा भी नहीं दिया गया तथा सड़क बनाने वाले ठेंकेदारो व कर्मचारियों ने भी बिना कटाणी रास्ते के सर्वे कर यह सड़क बना दी गयी। जहां पर खसरा संख्या 88 कटाणी रास्ता होने का राजस्व रेकर्ड में अंकन बताया जा रहा है। वहां पर सैकड़ों वर्षो से कभी भी कोई रास्ता नही रहा और न वर्तमान में हैं तथा न ही किसी प्रकार के अलामात भी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अदालत को इस रास्ते के बारे में सम्पूर्ण जानकारी व रिकार्ड रेकर्ड पर लेना चाहिए था, जो नही लेकर बड़ी भारी भूल की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

**{3}**(4)– यह है कि उक्त कटाणी रास्ते की किसी को भी जरूरत नहीं है, और जिस व्यक्ति ने जो खसरा संख्या 81 के व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है, उसके खेत में आने जाने के लिये चालू हालत में दो तरफ से दो रास्ते मौजुद है तथा एक रास्ते पर उसकी फाटक भी चढ़ी हुयी है, ऐसी स्थिति में इन दोनो रास्तो की सही स्थिति रेकर्ड पर लेने के लिये भी अदालत मातहत को मौके की जांच रिपोर्ट मंगाकर आदेश व निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से लायक अदालत मातहत का आदेश प्रथम द्रष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

**{3}**(5)– यह है कि अपीलान्ट के अलावा अन्य 15 व्यक्तियों के खिलाफ भी उक्त रास्ते पर अतिक्रमण बाबत अतिक्रमी मानते हुये भी आदेश व निर्णय पारित किये है, जबकि लायक अदालत मातहत के निर्णय की पालना हो गयी तो इन 15 खेतों के खातेदारों की फसले नष्ट हो जायेगी और इनके बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जावेगी तथा इन गरीब काश्तकारों को अजहद नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से भी संभव नहीं होगी तथा अभी काश्त का समय है, इस काश्त के दो तीन महीनों में लायक अदालत मातहत के आदेश व निर्णय पर रोक लगानी जायज व कानून सम्वत् है। इस गरीब अपीलान्ट की गरीब स्थिति व खड़ी हुयी काश्त के बारे में अवलोकन कर फिलहाल काश्त को नष्ट कर रास्ता खुलाने जैसा कष्टदायक आदेश व निर्णय देने में लायक अदालत मातहत ने भारी भूल की है। अतः आदेश व निर्णय खारिज योग्य है।

**{4}**– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2020 को हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 30.07.2020 को प्रस्तुत की जो अन्दर मियाद है।

**{5}**–बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का बाकलिया व भू. अ. निरीक्षक निम्बी जोधा की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम बादेला के खसरा नं0 88 रकबा 0–06 बीघा गै. मु. रास्ता में कंटीला तार लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्ण अप्रार्थी/अपीलान्ट को विविधवत नोटिस दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि है तथा वर्तमान में भी रास्ते के नाम दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि सम्मत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रम करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। कब्जा विधि सम्मत होना चाहिए और उसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का स्वत्व व अधिकार होना माना जा सके। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति मे हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2020 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी होकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)